



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार/Regional Office, Bihar
पंचदीप भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
Panchdeep Bhawan, Nehru Marg, Patna - 01
✉ rd-bihar@esic.gov.in ✉ EsicPatna ☎ 0612-2521928
🌐 www.esic.gov.in/robihar.esic.gov.in 📱 Esicpatna

पत्रांक: 42-A-40/15/11/2/2020/पेंशन

दिनांक: 27-02-2026

परिपत्र / CIRCULAR

विषय: चश्मे के फ्रेम की लागत पर अधिकतम सीमा में वृद्धि के संबंध में

Subject: Enhancement of the Maximum Ceiling on the Cost of Spectacle Frames-Reg.

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना तथा इसके अधीनस्थ सभी कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित सभी पेंशनधारक एवं पारिवारिक पेंशनधारकों को सूचित किया जाता है कि मुख्यालय की Med-I शाखा के पत्रांक U-11012/3/2021-Med-I(1252) दिनांक 30.01.2026 (प्रति संलग्न) के अनुसार, चश्मे के फ्रेम की लागत की अधिकतम सीमा ₹500/- से बढ़ाकर ₹1200/- कर दी गई है।

All officers and employees working in the Regional Office, Employees' State Insurance Corporation, Patna, and all its subordinate offices, as well as all pensioners and family pensioners pertaining to the Regional Office, are hereby informed that, vide Headquarters Med-I Branch letter No. U-11012/3/2021-Med-I(1252) dated 30.01.2026 (copy enclosed), the maximum ceiling on the cost of spectacle frames has been enhanced from ₹500/- to ₹1200/-.

यह सुविधा निगम के अधिकारी, कर्मचारी, पेंशनधारी, पारिवारिक पेंशनधारी एवं उनके आश्रितों को उपलब्ध होगी।

This facility shall be available to the officers, employees, pensioners, family pensioners of the Corporation, and their dependents.

यह परिपत्र क्षेत्रीय निदेशक महोदय की स्वीकृति से निर्गत किया गया है।

This circular is issued with the approval of the Regional Director.

संलग्नक/Encl: यथोपरि/ As above

Digitally signed by

सहायक निदेशक (प्रशासन) ASHISH RANJAN KUMAR

Assistant Director (Admin) Date: 27-02-2026
18:06:12

प्रतिलिपि :

- सभी शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना को निर्देश है कि वे अपने कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- सभी शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय/औषधालय सह शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बिहार को निर्देश है कि वे अपने कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

- iii. क्षेत्रीय निदेशक महोदय के निजी सहायक को सूचनाथे।
- iv. महासचिव, बिहार पेंशन एसोसिएशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बिहार को निवेदन है कि वे इस कार्यालय से संबंधित सभी पेंशनधारियों एवं पारिवारिक पेंशनधारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- v. आईटी प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना को निर्देश है कि वे क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड करें।
- vi. नोटिस बोर्ड